तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज चैनसिंह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी औसियां) सू.अ.अ. अपील संख्या 151 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.09.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी चैनसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत निवासी तापू तहसील औसियां जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.06.19 में उसके द्वारा (1) खेत खसरा नम्बर 257 ग्राम सरस्वती नगर ओमपुरा जाखण तहसील बापिणी सम्पूर्ण रिकॉर्ड खुर्दबुर्द सम्वत् 2013 से 2018 तक खसरा गिरदावरी जमाबंदी नामान्तरकरण संख्या–2 किस प्रकार से खुर्दबूर्द, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी औसियां व तहसीलदार बापिणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी औसियां) से जरिये पत्रांक 2758 दिनांक 09.09.19 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि तहसील कार्यालय बापिणी के पत्रांक 1525 दिनांक 04.09.2019 को डाक के जरिये भेजी जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के साथ तहसील कार्यालय बावड़ी से प्रार्थी चेनसिंह को दी गई सूचना की प्रति भी संलग्न है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय बापिणी द्वारा प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है तथा इस कार्यालय को रिपोर्ट के साथ प्राप्त सूचना प्रति भी अपीलार्थी को प्रेषित हो। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।	